

05/12/19

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण वकील अनु.। विप्रार्थी सं. 1 के वकील उप.। चूंकि मूल आवेदन अदम हाजरी अदम पैरवी में खारीज हो चुका है। अतः इस आवेदन में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहता है। अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो। संख्या से कम हो।


उपजर्जअधिकारी
घाहटेन

